भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1981
दिनांक 11 दिसंबर 2025

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप

†1981. श्री तमिलसेल्वन थंगाः
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों का आज की तारीख तक का कोई ब्यौरा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सीएसआर कार्यकलापों में से प्रत्येक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार और राज्य-वार कुल कितनी निधि व्यय की गई; और
(घ) इन सीएसआर कार्यकलापों से हुए लाभ/प्राप्त परिणामी लाभ क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुख पहल और बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों की देखभाल करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत अभिज्ञात शीर्षों के तहत नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप करती हैं। सीएसआर एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, अनुमोदित करने, निष्पादन करने और निगरानी करने का अधिकार है। ऑयल पीएसयूज द्वारा राज्य-वार, कंपनी-वार और कार्यकलाप-वार नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि पर खर्च किए गए धन का ब्यौरा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की संबंधित वेबसाइट जैसे www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.gailonline.com, www.oil-india.com पर उपलब्ध है। सीएसआर कार्यकलापों से समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़े, महत्वाकांक्षी तथा अविकसित क्षेत्रों में वंचित समुदायों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट प्रमुख क्षेत्रों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

*****